

सबके लिए आवास (शहरी) प्रधानमंत्री आवास योजना
के अंतर्गत ऋण संबद्ध सब्सिडी (आर्थिक सहायता)
योजना (सीएलएसएस) के बारे में
प्राप्त प्रश्न एवं सुझाव

क्र.सं.	सुझाव/प्रश्न	प्रतिउत्तर
1.	क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम तथा वित्तीय सहायता देने वाले अन्य संगठनों को अ.जा./अ.पि.वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांगता लाभार्थियों हेतु सबके लिए आवास (एचएफए) की वित्तीय सहायता के मिशन में शामिल होना चाहिए।	रा.आ.बैंक इन संगठनों के साथ सहमति-ज्ञापन पत्र कर रहा है ताकि संगठनों के अधिदेश ऋण देने हेतु सुनिश्चित करें और साथ ही भारत सरकार से निधि स्वरूप का सत्यापन भी करें।
2.	क्या लाभार्थियों के लिए आवेदन अभिलेखन प्रक्रिया सरलीकृत है? यदि नहीं, यह अपेक्षित होगा कि आईबीए द्वारा विकसित/अनुमोदित प्रपत्र सभी बैंकों में स्वीकृति हो।	अपेक्षानुसार आईबीए की सहायता से मुख्य नोडल एजेंसीज (सीएनए) पर्याप्त सरलीकृत अभिलेखन प्रक्रिया को विकसित करे।
3.	निर्दिष्ट लक्षित समूह के बीच योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के स्तर पर प्रस्तावित उपाय।	क्रियान्वयन मुद्दों पर पणधारकों की फीडबैक प्राप्त करने हेतु आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय प्रक्रियाधीन है। सही समय पर योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए अनुकूल हिमायती कदम उठाए जाएंगे। सीएनए (प्रमुख नोडल एजेंसीज) तथा पीएलआई से भी अपेक्षित है कि वे अपने स्तर पर उपयुक्त कदम उठाकर योजना को लोकप्रिय बनाएंगे।
4.	क्या सीएलएसएस(CLSS) का आवेदन कर्ता सीधे तौर पर यूएलबी(शहरी स्थानीय निकायों) में सीधे पंजीकरण करा सकते हैं?	लाभार्थी सीधे पीएलआई को अथवा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) अथवा राज्य और यूएलबीज द्वारा पहचानी गई स्थानीय एजेंसियों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
5.	सांविधिक 4041 शहरों के लाभार्थियों के केन्द्रीय पंजीकरण के लिए क्या कोई प्रक्रिया होगी? इससे योजना के विभिन्न अनुलंबों के अधीन सुविधाओं को पाने वाले लाभार्थियों की आसान पहचान की सुविधा	एनआईसी के माध्यम से आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय एक आईटी प्रणाली विकसित कर रहा है, जो डाटा अपलोडिंग एवं

	मिलेगी।	संपर्क (एक्सेसिंग) हेतु सभी पणधारकों को उपलब्ध होगी। तब तक सीएनए अपनी वेबसाइटों पर लाभार्थियों के विवरण रखेंगी, जिसे योजना के उद्देश्य हेतु डाटा बेस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।
6.	विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने पीएलआईज को लक्ष्य निर्दिष्ट किए हैं तथा पीएसआईज भी केन्द्र से निगरानी एवं मूल्यांकन कमेटी द्वारा लक्ष्य विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। यहां पर लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के बावत स्पष्टता की जरूरत है और यह कि इस संदर्भ में कौन प्राधिकारी है?	एक कमेटी जिसमें सचिव (आवास एवं शहरी उन्मूलन) वहां सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) शामिल होंगे, ऋण संबद्ध सब्सिडी के अंतर्गत पीएलआई को लक्ष्य आबंटित करेंगे और पीएलआई से उम्मीद की जाती है कि लक्ष्य प्राप्त करेंगी।
7.	क्या निजी एचपी अनुलंब योजनाएं प्रयुक्त कर सकते हैं तथा अपनी विद्यमान योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार की सहायता पा सकते हैं	नहीं। परियोजना को राज्य सरकारें अधिग्रहीत करती हैं, जिसके लिए परियोजना का आकार एवं संख्या, पात्र लाभार्थी, विक्रय मूल्य, आबंटन प्रक्रिया आदि की शर्तों को पूरा करती हो, जिन पर केन्द्र सरकार की सहायता से विचार किया जाता है।
8.	राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा 15 दिन के भीतर अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना गले का फंदा बन सकता है, क्या इसे हटाया जा सकता है?	अनापति प्रमाण पत्र का समयावधि में जारी किया जाना सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति इस योजना का दो बार लाभ नहीं उठा सकता। अनापति प्रमाणपत्र की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी और सुविधानुसार अधिसूचित किया जाएगा।
9.	निम्न आय वर्ग हेतु बैंकों के पास पहले से ही अनेकों उत्पाद उपलब्ध हैं। उन लाभार्थियों के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों पूर्व ही ऋण प्राप्त किया था?	यह योजना 17 जून, 2015 प्रभावी हुई है। इस प्रकार से, इस तिथि पर या इसके बाद संस्वीकृत ऋण एवं संवितरित ऋण इस सीएलएसएस योजना के अधीन लाभ के पात्र होंगे। बशर्त कि वे

		इस योजना के तहत सभी मापदंडों को पूरा करते हों।
10.	सब्सिडी राशि का संवितरण अधिकतम 4 किश्तों में है। लेकिन जहां पर बिल्डर निर्माण संबद्ध किस्तों पर अधिक संख्या में मांग कर सकता है। ऐसे मामलों से कैसे निपटेंगे?	ऐसे मामलों में लाभ प्राप्त करने के लिए पीएलआई तथा सीएनए के बीच परिचर्चा के आधार पर किस्तों के संवितरण की संख्या तय की जा सकती है। बशर्ते कि योजना के तहत अपेक्षित शर्तें पूरी होती हों।
11.	सहमति-ज्ञापन के अनुसार (पृष्ठ 23 पैरा क्रम 6) की दिशा-निर्देशानुसार भवन निर्माण को पूरा करने की अवधि 12 माह है, जो कि शायद व्यवहार्य नहीं हो सकती।	इस शर्त की समीक्षा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा की जा रही है और इसकी सूचना प्रदान की दी जाएगी।
12.	यह योजना जोर देती है कि जिस व्यक्ति के पास देश भर में कहीं भी पक्का घर नहीं है, केवल ऐसे लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। यह पहलू कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/शहरी स्थानीय निकाय/ पीएलआई लाभार्थियों को आधार यूनिक पहचान पत्र से जोड़ेगी या लाभार्थी के जन्मभूमि वाले जनपद की राजस्व प्राधिकरण के द्वारा आवास स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, ताकि ऐसे दोहराव से बचाव हो।
13.	इस योजना के उद्देश्य हेतु कितने शहरों को आवृत(कवर्ड) किया जाएगा?	सीएलएस योजना के उद्देश्य हेतु 2011 की जनगणना के अनुसार सभी 4041 सांविधिक शहर शामिल किए जाएंगे।
14.	क्या इस योजना के अंतर्गत विद्यमान आवास की मरम्मत कार्य को शामिल किया गया है?	विद्यमान उन आवासों को मरम्मत कार्य को लिया जा सकता है जो कच्चे, अधपक्के और पूर्णतः पुनरुद्धार के लिए अपेक्षित है।
15.	क्रम सं. 5.3 में बताया गया है कि "लाभार्थी अपने विवेकानुसार बड़े क्षेत्र में गृह का निर्माण कर सकता है, लेकिन ब्याज राहत केवल 6.00 लाख रु. तक अधिसीमित होगी" कृपया स्पष्टीकरण दें।	नए गृह का निर्माण योजना की दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जा सकता है। विस्तार मरम्मत, 30 वर्ग मी. तथा 60 वर्ग मी. के निर्माण क्षेत्र क्रमशः आर्थिक कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह के लिए सीमित है।
16.	क्या स्पष्टीकरण/अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिशा-	स्पष्टीकरण/अक्सर पूछे जाने वाले

	निर्देशों को अधिक्रमित करेंगे?	प्रश्न को योजना के दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाए।
17.	रा.आ.बैंक की ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना (सीआरजीएफसी) निम्न आय आवास के आकार को 430 वर्ग फुट (40 व.मी.) कार्पेट क्षेत्र में पारिभाषित करती है। क्या इसे सीएलएसएस के साथ अनुकूलित किया जा सकता है।	इसे ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास के अनुसार परीक्षित किया जाएगा और सीआरजीएफ योजना के दिशा-निर्देशों के विस्तार में माना जाएगा।
18.	जैसा कि योजना प्रस्तावित है कि लाभार्थियों से प्रसंस्करण शुल्क नहीं वसूला जाएगा। लेकिन तब सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट ऑफ इंडिया (सरसाई) के द्वारा प्रभारित अधिकर का क्या होगा। क्या लाभार्थी से वसूली जाएगी या ऐसे प्रभार पीएलआईज द्वारा वहन किए जाएंगे।	संस्वीकृत आवेदनों पर एक मुश्त 1000/- रु. की राशि पीएलआई की प्रसंस्करण शुल्क के रूप में देय होगी। वर्तमान में, सरसाई द्वारा प्रभारित अधिकर को संबंधित उधारकर्ता/लाभार्थी के द्वारा वहन की जाएगी और और सीएलएसएस उपरोक्त के लिए स्वतंत्र है, हालांकि अपने स्तर पर पीएलआई उपयुक्त निर्णय ले सकती है।
19.	यह सभी राज्यों को प्रस्तावित है कि बंधक शुल्क (मार्टगेज फीस) (0.25 से 0.5%) तथा स्टाम्प शुल्क को माफ कर दिया जाए ताकि योजनाको एक प्रोत्साहन मिले। गुजरात एवं तमिलनाडु राज्यों ने इसे माफ कर दिया है।	इस मामले को राज्यों के साथ उठाया जाएगा।
20.	क्या सीएलएसएस को निजी मार्टगेज समर्थित गारंटी निधि (पीएमबीजीएफ) के साथ आबद्ध किया जा सकता है जिसे बाजार के कुछ खास निजी खिलाड़ियों द्वारा उपलब्ध कराया गया है।	हां
21.	जब एक ऋण गैर निष्पादक आस्ति बन जाता है और संबद्ध पीएलआई उस समूची बकाया राशि को लाभार्थी से वसूल पाने में असमर्थ रहती है, तब क्या आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय इस बोझ का अपेक्षित हिस्सा वहन करेगा?	यह पीएलआई की जिम्मेदारी है कि उधारकर्ता के विवेक सम्मत बकायों को विवेक सम्मत शर्तों जैसे कि एनपीए की वसूली आदि, यदि कोई है तो अपनी जिम्मेदारी पर करे। हालाँकि, जहां पर गृह निर्माण कार्य किसी कारण वश रुक गया है, तब आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा जारी सब्सिडी को ऋण सहित बैंक के द्वारा वसूली जाएगी।

22.	बैंक ऋण के संवितरण के दौरान आय प्रमाण पत्र एवं स्वत्वाधिकार (टाइटल) यानि स्वामित्व प्रमाण पत्र पर भरोसा करते हैं। इस योजना में, आय प्रमाण पत्र हेतु स्व-प्रमाणन शामिल किया गया है। ऐसी दशा में स्वत्व आधिकारिकता एवं आय प्रमाण के लिए कौन जिम्मेदार होगा?	बैंक ऋण को अनुमोदित करते हुए अपनी विवेक सम्मत प्रक्रिया को अपनाए। जब सब्सिडी संवितरित करेगा तो लाभार्थी से स्व प्रमाण पत्र/हलफनामा को आय के प्रमाण पत्र के रूप में लेगा। पीएलआई इसके लिए भा.दं.सं. (आईपीसी) के तहत तथा किसी धोखा-धड़ी की प्रस्तुति पर ... अनुकूल उपाय के तहत उपचार तलाश सकता है।
23.	यहां पर दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश है कि ऋण संस्वीकृति हेतु अनुमोदित भवन निर्माण योजना अपेक्षित है। आवास वित्त एजेंसी (एचएफए) की आवास परियोजनाओं के साथ इसका संयोजन कैसे होगा?	कृपया दिशा-निर्देशों की क्र.सं. 11.4 के तहत अनिवार्य सुधारों का संदर्भ लें, जो बिल्डिंग अनुमति एवं ले-आउट अनुमोदन अथवा एक खास निर्मित क्षेत्र/प्लॉट एरिया की नीचे बने आवासों के अनुमोदन में छूट के लिए मानी गई है।
24.	आवास वित्त कंपनियां सरफेसाई (SARFAESI) अधिनियम के तहत कवर नहीं हैं। क्या यहां पर ऐसा कोई विचार है कि सभी आ.वि. कंपनियां इस अधिनियम के दायरे में कवर हों।	वर्तमान में केवल कुछेक आ.वि.कंपनियां ही सरफेसाई एक्ट के अंतर्गत कवर है। रा.आ.बैंक से ज्ञात हुआ है कि शेष पंजीकृत आ.वि.कं. को सरफेसाई अधिनियम के दायरे में लाने के लिए विचाराधीन है।
25.	भिन्न राज्य इडब्ल्यूएस (कमजोर आर्थिक समूह) तथा एलआईजी (निम्न आय वर्ग) हेतु भिन्न क्षेत्रफल का मापदंड पारिभाषित करते हैं। आवास वित्त एजेंसियों के तहत आने वाली आवास परियोजनाओं को किस तरह संबोधित किया जाएगा।	राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी आवासों का क्षेत्रफल आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की सहमति से निर्धारित कर सकता है। इस राज्य आधारित संशोधन पर इस मिशन के चारों घटक लागू होंगे। केन्द्र की सहायता, यथावत ही रहेगी।
26.	वास्तविक पुनर्भुगतान प्रारंभ होने के पहले क्या ऋणकर्ताओं हेतु ऋण-स्थगन कुल समय की अधिसीमा 15 वर्ष के अंतर्गत अनुमत होगा या इस सीमा से बाहर भी जाएगा।	यह कुल समय सीमा 15 वर्ष के भीतर ही सीमित होगी।

27.	जिन मामलों/इलाकों में सोसाइटी पट्टा प्रथा विद्यमान है, वहां ऋण संस्वीकृति हेतु किस प्रकार के भूमि स्वत्वाधिकार या स्वत्व विलेख प्रयुक्त होंगे।	आ.वि.कं./प्रा.ऋण संस्थान ऋण संस्वीकृति हेतु खुद को अवश्य संतुष्ट करें तथा दस्तावेजों एवं अनुमोदन प्रक्रिया हेतु विवेक सम्मत प्रक्रिया अनुपालित करें
28.	क्या सब्सिडीयुक्त गृह ऋण को पुनर्वित्त में लिया जा सकता है?	हां
29.	क्या प्रत्येक संस्वीकृत (ऋण) आवेदन पर 1000/- रु. की लागत मूल्य को बढ़ाया जा सकता है जैसा कि निम्न मूल्यों वाले ऋणों की प्रचालन लागत ऊंची होती है?	वर्तमान में, प्रति संस्वीकृति आवेदन की प्रक्रियागत शुल्क 1000/- रु. है।
30.	जैसा कि दस्तावेज (पैराग्राफ 15.2) में वर्णित है, सब्सिडी को व्याख्यानानुसार 4 किशतों में संवितरित किया जाएगा (क) सब्सिडी किशतों की आवृत्ति क्या होगी?	केन्द्रीय/प्रमुख नोडल एजेंसी (सीएनए) के द्वारा सब्सिडी को आनुपातिक आधार पर 4 अधिकतम किशतों में संवितरित किया जाएगा। यह पीएलआई द्वारा पात्र उधारकर्ताओं/ लाभार्थियों के द्वारा संवितरित ऋणों के तहत प्राप्त की गई सूचना पर निर्भर होगा। (योजना के पृष्ठ 23 पर पैरा डी.1 को देखें)
	(ख) यथा पृष्ठ 46 में बताए गए अनुसार क्या निर्माण चरणों से संबद्ध होगा	पेज 46 में वर्णित निर्माण चरण वैयक्तिक लाभार्थी के लिए गृह निर्माण/वृद्धि हेतु सब्सिडी पर हैं, न कि सीएलएसएस(योजना) हेतु। सब्सिडी किस्तें पीएलआई द्वारा उधारकर्ता को दिए जाने वाले ऋण संवितरण से संबद्ध होंगी।
31.	कृपया स्पष्ट करें कि लाभार्थी हेतु सब्सिडी देने की प्रक्रिया क्या है? (क) पीएलआई को ऋण संबद्ध सब्सिडी तथा सीएनए के रिफंड दावों को लाभार्थी के ऋण खाता में जमा कराना चाहिए जैसा कि बिंदु 5.1 में वर्णित किया गया है।	पीएलआई को ऋण के संवितरण के पश्चात संबंधित सीएनए से सब्सिडी का वसूली दावा करना चाहिए। यह सब्सिडी पीएलआई के द्वारा ऋणकर्ता के खाते में सीधे मूल ऋण राशि काटने के बाद जमा कर दी जाएगी। ऋणकर्ता अपनी ऋण दरों के अनुसार शेष मूल ऋण
	(ख) पीएलआई को सीएनए से धन का दावा करना एवं ऋण संबद्ध सब्सिडी को लाभार्थी के खाते में तभी जमा	

	करना चाहिए, जब राशि को फ्लोचार्ट के वर्णनानुसार सीएनए से प्राप्त हो जाए।	राशि पर किस्तों की भुगतान करेगा।
32.	जैसा कि खंड 5.3, में बताया गया है, उसमें नए निर्माण हेतु परिभाषा का स्पष्टीकरण आवश्यक है। क्या इसमें शामिल है- (क) एक भवन निर्माता से नए निर्मित घर की खरीद (ख) एक विकासक से नए निर्मित घर की खरीद (ग) एक विक्रेता से एक नए निर्मित घर की पुनर्खरीद	इस प्रश्न के अंतर्गत यहां वर्णित तीनों ही उदाहरण एक नए निर्मित घर की परिभाषा में आते हैं तथा सब्सिडी हेतु योजना के अंतर्गत आते हैं। जो निर्धारित क्षेत्रफल 30/60 वर्ग मीटर के कार्पेट क्षेत्र में यथा लागू है।
33.	क्या पीएलआई को निम्नांकित हेतु मासिक किस्त (ईएमआई) के लिए पीडीसी (पोस्ट डेटेड चेक) संग्रहीत करने चाहिए- (क) लाभार्थी ऋणकर्ता द्वारा ऋण के तहत प्राप्त की गई कुल राशि हेतु अथवा (ख) सब्सिडी राशि को छोड़कर कुल ऋण राशि हेतु	पीएलआई के द्वारा मूल ऋण राशि को काटकर सब्सिडी को सीधे ऋणकर्ता के खाते में जमा करानी होगी। ऋणकर्ता मूल ऋण राशि के शेष पर यथा ऋण दर पर मासिक किस्त की भुगतान करेगा।
34.	क्या पीएलआई सीएलएसएस के तहत गृह ऋण को 15 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए ऋण के उस भाग को विस्तारित कर सकता है जो गृह ऋण का गैर सब्सिडी वाला भाग है।	आर्थिक कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह वर्ग के लोग बैंकों आवास वित्त कंपनियों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों से 15 वर्ष की अवधि या ऋण की अवधि, जो भी कम हो, के दौरान ब्याज सब्सिडी को 6.5% प्रति वर्ष की दर से पाने के लिए पात्र होंगे।
35.	यदि कोई ग्राहक विभिन्न आईडी (पहचान) प्रमाणों के आधार पर बहु सब्सिडी के लिए आवेदन करता है, तो क्या हो सकता है?	इस मिशन के अंतर्गत, आवेदक केवल एक संघटक का लाभ उठा सकता है। इस प्रक्रिया को समर्थकारी बनाने हेतु लाभार्थी को उसके आधार /वोटर आईडी कार्ड/किसी अन्य विशिष्ट पहचान संख्या या स्वामित्व हेतु राजस्व विभाग के प्रमाण पत्र से जोड़ा जाना चाहिए।
36.	यदि किसी ग्राहक ने पहले ही आवास ऋण प्राप्त कर रखा है और बाद में वह पीएलआई के पास ऋण संबद्ध सब्सिडी की सुविधा पाने हेतु उसी परिसंपत्ति के साथ सुविधा उठाने का उपागम कर्ता है तो इसे संबोधित करने के लिए क्या प्रक्रिया है?	यह योजना 17 जून, 2015 से प्रभावी हो जाएगी। पीएलआई से अपेक्षा की जाती है, कि वर्तमान योजना के प्रावधानानुसार अनुमोदन/संवितरण करें तथा

		तदनुसार लाभार्थियों को अवगत कराएं।
37.	जैसा कि बिंदु सं. 15.2 (क्लेम फॉर्मेट) में वर्णित है कि सीएनए से पीएलआई द्वारा सब्सिडी के क्षतिपूर्ति के क्लेम (दावा करने) की क्या प्रक्रिया है?	पीएलआई से ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी लाभार्थियों का संवितरित ऋण के आधार पर पीएलआई के द्वारा कुल संवितरित ऋण के आधार पर सब्सिडी की राशि सीधे पीएलआई को मोचित की जाएगी। इस तरह से, सब्सिडी के संवितरण हेतु पीएलआई एक समेकित क्लेम सीएनए के पास जमा करेगा। विस्तृत प्रक्रिया के बारे में सीएनए संबद्ध पीएलआई को सूचित करेगा।
38.	क्या (बिल्डर/विक्रेता से) सीएलएसएस के तहत पुनः बिक्री अनुमत है?	पुनः बिक्री (रिसेल) के मामले अनुमत होंगे, लेकिन यह बैंक के लिए आवश्यक या लाजिमी है कि अपनी विवेक सम्मति एवं बैंकिंग यांत्रिक प्रक्रिया को अपनाएं, ताकि इस परिदृश्य के अव्यवहारिक मामलों को खत्म करें।
39.	क्या यहां पर विशिष्ट प्रारूप (फॉर्मेट) है या फिर हम अपना फॉर्मेट प्रयुक्त कर सकते हैं? (क) आय के प्रमाण हेतु ग्राहक का हलफनामा कि वह ईडब्ल्यूएस/एलआईजी की श्रेणी के अधीन आता है?	केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) आईबीए की सहायता से, जैसा कि आवश्यक हो सकता है, वे पीएलआई तथा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के सहयोग से इस मामले में परामर्श करके अपना फॉर्मेट बना सकते हैं।
	(ख) मानवीय (मैनुअल) कार्यों, औरतों (विधवाओं की प्राथमिकता के आधार पर) एससी/एसटी/ओबीसी/ अल्पसंख्यक/विकलांग/उभयलिंगी से संबद्ध ग्राहकों हेतु स्वघोषणा?	उपयुक्त सरकारी निकाय के द्वारा अपनाया गया प्रमाणीकरण प्रक्रिया का प्रारूप (फॉर्मेट) ही अधिग्रहीत किया जाएगा।
	(ग) अंतिम उपयोगिता प्रमाणपत्र	ऋणों को संस्वीकृत/अनुमत करने के लिए सीएनए तथा पीएलआई अपनी विवेक सम्मत प्रक्रिया के आधार पर इस पहलू की निगरानी

		कर सकते हैं। पीएलआई भी सीएनए के परामर्श से चर्चित कर एवं अंतिम स्वरूप दे सकते हैं।
	(घ) समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र	सीएनए (मुख्य नोडल एजेंसी) पीएलआई (और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के साथ मशविरा से) परामर्श करते हुए अपना फार्मेट बनाएगा।